कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:– प्रासिप/परिषद सम्बद्धता/2020/5170 लखनऊ: दिनांक: 14-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अपराह्न प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की लखनऊ में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आयोजित नई सम्बद्धों की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बिन्दुओं पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाए जिन्हें पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।"

अतः निम्नानुसार प्राविधिक संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उसकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था पी0सी0आई0/पी0सी0ओ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, संशोधित विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जैसे समिति शुल्क सम्बद्धता हेतु रू0 30,150.00/– प्रतिवर्ष, ही समिति प्रशासनिक पाठ्यक्रम हेतु रू0– 45,000.00/– प्रतिवर्ष एवं एक साथ दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0– 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रवेश शुल्क/छात्र से प्राप्त किया करेगा। संस्थान के प्रतिनिधि छात्र/छात्राओं से शुल्क के माध्यम से धनराशि का भुगतान द्वारा निर्गत किये जाने वाले आनलाइन प्रणाली द्वारा, और तदनुसार कार्यवाही

दिया जाना आवश्यक होगा। फीस नियंत्रण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की गणना इसे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, सरकारी जी0 सम्बद्ध शिक्षा संस्था) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई0 से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियम/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेसी पाठ्यक्रम की मान्यता यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सम्बन्ध संस्था उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पक्ष दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व पीसीआई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नियोजन आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की सम्पत्ति सुरक्षा, चौड़े संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा, पाठ्यक्रम, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त पुस्तकालय उपलब्ध कराने की साथ ही शिक्षा पढ़ाने की सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु नियोजन समिति की संस्था उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संबंधित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/5171-6578 दिनांक: 14-9-2020

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य/निदेशक, पंडित कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरादाबाद नगर निगम-मंडुर डन जोन, जिला पीलीभीत रोड, बरेली।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय

प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविशिपरिषद् सम्बद्धता/2021/0637 लखनऊ: दिनांक: 09/05/2021

सम्बद्धता आदेश

प्राविधिक शैक्षणिक (व्यावसायिक) शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु निम्नवत राजकीय/अशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रस्तावित नई सम्बद्धता की सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3142-JYOTI COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE AND TECHNOLOGYMUDIYA AHMAD NAGAR NEAR MAYUR VAN CHETAN KENDRA PILIBHEET ROAD BARELLY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	प्रा0शि0परि0/ पी0सी0आर0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था प्रा0शि0परि0/पी0सी0आर0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, शैक्षणिक विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही अभिभावकों से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से शुल्क के सम्बन्ध में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, जिस अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। फीस नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाना है, तो फीस की गणितीय दर मान्य होगी।

✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्थानों तथा उच्च संस्थानों, सम्बद्धता की सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

✓ संस्था के संचालन हेतु संबंधित परिषद द्वारा आवश्यक मानकों को ही संबंध किया जायेगा। कमियों के निवारण एवं मानकों की स्थिति में मानक प्रविष्ट संस्थान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

✓ संस्था को प्रदान-संचालन का विवरण शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं कम्प्यूटरीकृत कुशल प्रबन्ध कराया होगा।

✓ संस्था का एआईसीटीई/पीसीआई के अनुसार एवं इनके अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

✓ संस्था द्वारा प्रदेश संस्थान द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/परिनियमों/अध्यादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरप्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ विभागीय कुल फार्मेसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता यदि की सी.आर.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही संस्था का होगा और विभिन्न कार्य के किसी भी कार्यवाही के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई भाग दायित्व नहीं होगा। तथा शासन आदेश के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण की प्रतिभूति शासन आदेश निर्गत किया जाता है तो शासनादेश प्रतिभूति संबंधित संस्था की कमाई होगी।

✓ विभागीय कुल फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश कार्य के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआई के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनकी प्रवेश की (काउन्सिलिंग के आधार से अलग संस्था स्तर पर दी गई प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नियमावली/आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने विकासपूर्ण पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की रिहायशी भूमि, भवन, छात्र-छात्रायें, प्रयोगशाला, प्रायः किया जाने वाला कुशल, छात्रावास कुशल आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को विकास-परिवर्धन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक योजनों के सम्बन्ध में आवश्यक आवश्यकता एवं सुविधायें करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि अपना भी संस्थागत संचालित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने हेतु निर्धारित प्रतिशत के अनुसार उपलब्ध कराये गये अधिशेष, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का कमोल किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

✓ संस्था के अपनी निर्धारित शैक्षिक सत्र यदि संस्था की भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य भवन-संरचना एआईसीटीई/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

पृष्ठांकन- प्राविधिपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4806

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रबन्धक/निदेशक JYOTI COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE AND TECHNOLOGYNUDIYA AHMAD NAGAR NEAR MAYUR VAN CHETAN KENDRA PILIBHEET ROAD BAREILLY

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2022/7017 लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

सम्बद्धता प्राप्त:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 29/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रस्तावित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2142-JYOTI COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ सम्बद्ध उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2006, प्रवेश नियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30160.00/- परिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालय पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष वाले दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- परिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

चलाती होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस विनियामक समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान शासन प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमावली/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एआईएसएचईसी/एआईसीटीई/पीसीआई तो अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और सिविल कार्य से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पात्रक एवं प्रवेश हेतु आयोजित काउंसिलिंग प्रायः होने के पूर्व एआईएसएचईसी/एआईसीटीई/पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना कार्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनायें जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया गया शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निरीक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ईमेल सेवाओं के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में समस्त संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षक, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि स्थान द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को दूसरी प्राथमिकता होती है कि कारण उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था की भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य भवन-संरचना एआईएसएचईसी/एआईसीटीई/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एस0आर0 खान)
सचिव

पृ0सं0- प्राविधि/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8458 दिनांक: 30/04/2022

प्रतिलिपि-

[illegible] JYOTI COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

(एस0आर0 खान)
सचिव